फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

कौशलया देवी बनाम रामकुमार व अन्य

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :– 93/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 आर0एम0–ए की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के संयुक्त खाता संख्या 36/33 के प0नं0 104/304 (10) के कि0नं0 1–2/0.506 है0, 9 ता 12/1.012 है0, 19–20/0.506 है0, 21/2/0.215 है0, 22/2/0.215 है0 कुल 2.454 है0, प0नं0 101/304 (13) कि0नं0 4 ता 7/1.012 है0, 14 ता 17/1.012 है0, 24–25/0.506 है0= 2.530 है0 व प0नं0 100/305 (17) कि0नं0 1 ता 5= 1.265 है0 कुल 6.249 है0 (3.985 है0 कमाण्ड, 2.239 है0 अ0क0 व 0.025 है0 खाला) भूमि मेंसे अप्रार्थी संख्या 1 रामकुमार पुत्र कालूराम के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपर्युक्त वर्णित भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 रामकुमार पुत्र कालूराम ने अपने नाम अंकित 1/3 हिस्सा यानि 2.083 है0 में से 0.253 है0 भूमि के विकय का सौदा प्रार्थीया के साथ दिनांक 07.06.2008 को जरिये इकरारनामा कर मुताबिक कब्जा प0नं0 104/304(10) कि0नं0 20/0.253 है0 अ0क0 भूमि का कब्जा सौंप दिया था जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त की उक्त सुधारी हुई है एवं उक्त भूमि का भाव बढ़ जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बदयन्ति आ गई है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का विक्रय पत्र अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में करवाने की धमकी दे रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि का बेचान अन्य किसी को कर दिया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को वाके चक 2 आर0एम0–I के संयुक्त खाता संख्या 36/33 के प0नं0 104/304 (10) के कि0नं0 20/0.253 है0 अ0क0 भूमि का वादपत्र के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व इसे आगे हस्तान्तरित नही करें। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी ने अपने हिस्से के रकबा में से कोई रकबा का बैचान नही किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया से रूपये उधार लिये थे तथा इन रूपयों को ब्याज सहित लौटा दिये है तथा इकरारनामा प्रार्थीया स्वयं सहमति से निरस्त कर दिया है। जैरप्रकरण रकबा का कब्जा शुरू से आज तक अप्रार्थी का ही है। प्रार्थीगया का दावा इस न्यायालय में नही चल सकता है इकरारनामा के आधार पर दावा नही चल सकता है। इकरारनामा दिनांक 07.06.2008 की तमाम राशि प्रार्थीया को लौटा दी है व इकरारनामा निरस्त कर दिया है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार किया जावे। योग्य अधिवक्ता उभय पख की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 07.06.2008 मे कब्जा सौपनें का तथ्य अंकित नही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया का नही बनता है व सुविधा व संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नही है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena

Date: 2020.09.16 17:17:17 IST

Reason: SelfAttested